संख्या- 37/629/24-1-14-84 पी/02 टी0सी0

प्रेषक:

सुरेश कुमार शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2014

विषय:- वित्तीय वर्ष 2012-13 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को एन0टी0पी0सी0 के बकाये हेतु राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान मद में आकस्मिकता निधि से अवमुक्त धनराशि के समायोजन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को एन0टी0पी0सी0 के बकाये हेतु राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान मद में एन0टी0पी0सी0 के 60 दिन से अधिक के बकाये के भुगतान हेतु रूपये 2,50,00,00,000/- (रूपये दो अरब पचॉस करोड़ मात्र) की स्वीकृति शासनादेश संख्या- 525/24-1-2013-54 पी/02 टी0सी0-1, दिनांक 02.03.2013 को प्रदान की गयी थी।

2- उपर्युक्त व्यय हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में इस निमित्त प्रयाप्त व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। यह व्यय अत्यन्त आवश्यक एवं अपरिहार्य थे। अत: विशेष परिस्थियों में कुल रूपये 2,50,00,00,000/- (रूपये दो अरब पचॉस करोड़ मात्र) की धनराशि राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम आहरित कर एन0टी0पी0सी0 के बकाये के भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

3- वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य आकस्मिकता निधि से आहरित रूपये 2,50,00,00,000/- (रूपये दो सौ पचॉस करोड़ मात्र) के अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में अनुपूरक मांग के माध्यम से अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्ष- "2801-बिजली-05-संचरण एवं वितरण-800-अन्य व्यय-04- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान- आयोजनेत्तर-27- सब्सिडी" में व्यवस्था कर ली गयी है। उक्त धनराशि को पुस्तक समायोजन द्वारा लोक लेखा के लेखाशीर्ष " 8000-राज्य आकस्मिकता निधि-201-समेकित निधि से विनियोग" में अंतरित करते हुए वर्ष 2012-13 में राज्य आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिम की प्रतिपूर्ति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उपर्युक्त व्यय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-9 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष- "2801-बिजली-05-संचरण एवं वितरण-800-अन्य व्यय-04- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान- आयोजनेत्तर-27- सब्सिडी" के नामे डालते हुए लोक लेखा के लेखाशीर्ष "8000-राज्य आकस्मिकता निधि-201-समेकित निधि में विनियोग" में पुस्तक समायोजन द्वारा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा जमा किया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-10-यू0ओ0- 67 /दस-014, दिनांक 29 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें।

भवदीय,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या- 37/629(1)/24-1-14, तददिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2- कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /राज्य योजना आयोग-1
5- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in